उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील (पी0डी0एस0) सं0–04/2023–24

सोनी खातुन..अपीलकर्त्ता।

बनाम

सरकार...उत्तरकारी।

आदेश

25.07.2023

यह रे0मि0 अपील (पी0डी0एस0) अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका के आदेश सं0–35/12 दिनांक–05.02.2012 के विरूद्ध दायर किया गया है। जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0–249/09 को रद्द किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति सं0–249/09 को अध्यक्ष के द्वारा खाद्य वितरण में मनमानी एवं अनियमितता ढंग से किये जाने के कारण दिनांक–05.12.12 को रद्द किया गया है। अपीलकर्त्ता उक्त आदेश के विरूद्ध दिनांक–21.07.2023 को अपील दायर किया गया है। झारखण्ड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अध्याय VI के क्रमांक 30(1) के अनुसार अनुज्ञप्ति के रद्दीकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति नियत्रण आदेश के अन्तर्गत प्राधिकृत अपीलीय पदाधिकारी (उपायुक्त) के समक्ष उक्त आदेश की प्रति की प्राप्ति के तारीख से 30 दिनों के अन्दर अपील कर सकता है, किन्तु यह अपील 10 वर्षो के पश्चात् दायर किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में अपीलकर्त्ता के आवेदन को कालवाधित मानते हुए अपील को अंगीकृत बिन्दु पर खारीज ही किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2023.07.28 18:25:24 +05:30
Location: 169.254.227.244